न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/206 **दायरा दिनांक : 09.12.2024**

उनवान

1. हीरा आयु 70 वर्ष आत्मज गंगाराम
2. छीतर आयु 50 वर्ष आत्मज नन्दलाल

अकवाम जाति भील, निवासीयान पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. जगदीश आत्मज पूरीलाल, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
2. कालू आत्मज रामलाल, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
3. राजीबाई आत्मजा नन्दा पत्नी हेमराज, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, हाल निवासी आकोदिया, तहसील असनावर, जिला झालावाड राज0
4. मांगीबाई आ0 नन्दा पत्नी रंगलाल, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, हाल निवासी सोहनपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड राज0
5. बद्रीबाईआ0 नन्दा पत्नी मांगीलाल, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, हाल निवासी नयागांव हरिगढ़, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
6. पूरीबाई आ0 देवा, जाति भील, निवासी पाडलिया, हाल असनावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड राज0
7. बाबूलाल आ0 केसरीलाल, जाति मीणा, निवासी मिश्रोली, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
8. बालचन्द आ0 शंकर, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
9. पूरीबाई आ0 शंकर, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
10. चन्द्रकला बाई आ0 शंकर, जाति भील, निवासी पाडलिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राज0
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अकलेरा, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित–श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बच्चू लाल व सुश्री भगवती अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 10.11.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या –79/2019 निर्णय दिनांक 08.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट नेएक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी ग्राम पाडलिया संवत 1966 खतौनी संख्या नई 29 व पुरानी 29 के अनुसार खातेदार औंकार भील के चारों लडकों के नाम दर्ज है जो पुश्तैनी आराजी है व औंकार के खाते से आयी है। औंकार खातेदार के मरने के उपरान्त आराजी मोती, गंगाराम, देवा तथा शंकर के संयुक्त खाते खसरा नं. 119 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 120/1 रकबा 10.18 बीघा,खसरा नं. 120/2 रकबा 2.00 बीघा,खसरा नं. 121 रकबा 0.01 बीघा,खसरा नं. 123 रकबा 5.08 बीघा,खसरा नं. 128 रकबा 1.04 बीघा,खसरा नं. 129/1 रकबा 1.14 बीघा,खसरा नं. 129/2 रकबा 1.01 बीघा,खसरा नं. 130 रकबा 3.16 बीघाकुल किता 9 कुल रकबा 26.10 बीघा स्थित है।अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2024 से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुतप्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर वादी का वाद रेसजूडिकेटा के आधार पर खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है किवादग्रस्त आराजी कुल 26.10 बीघा में से 12.18 बीघा मोती खातेदार की कम किये जाने के कारण शेष जो आराजी रहती है वह है 13.12 बीघा के हिस्से में 4.01 बीघा आराजी आती है जिसकी घोषणा करवाये जाने के लिए वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को वादों के रजिस्टर में संस्थित किया जाकर उस पर संख्यांक अंकित किये तत्पश्चात प्रतिवादीगण को विवाद्यकों के स्थिरीकरण के सम्मन जारी किये जिसमें प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वादी के वाद के संबंध में अपना प्रत्युत्तर दे, प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का प्रत्युत्तर नहीं देकर प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी. 1908 प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील पेश की।

i–सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 सपठित आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 1 के प्रावधानों तहत वादपत्र के प्रस्तुत किया जाता है इसी अधिनियम के आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 2 के प्रावधानों तहत के तहत वादपत्र में आदेश 6 व 7 के अन्तर्विष्ट

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नियमों के अनुपालन से संबंधित प्रावधान है साथ ही अधिनियम के आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 3 के प्रावधान के तहत वादपत्र को सम्यक रूप से संस्थित किया गया नही समझा जावेगा जब तक वह उपनियम 1 तथा 2 की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पालना नही करता हैं।

ii–जब न्यायालय वादपत्र को सम्यक रूप से संस्थित किया हुआ मान लेता है तब वह वादपत्र को अपने अपने वादों के रजिस्टर में आदेश 4 नियम 2 के तहत प्रविष्ट करता है जिसमें वाद के संख्याक हर वर्ष के क्रम में अंकित किए जावेगें । यहाँ वादपत्र परिवर्तित होकर वाद बन जाता हैं जिस कारण ही आदेश 5 नियम 1 में उसे वाद के नाम से संबोधित किया गया हैं, आदेश 5 नियम 1 के प्रावधानो के तहत प्रतिवादीगण को विवाद्यको के स्थिरीकरण के सम्मन जारी किए जाते है व जिसमें प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वे वादी के बाद के संबंध में उपस्थित हो तथा लिखित प्रत्युत्तर दे।

अ– उक्त विधिक विवेचन के अनुसार 'वादपत्र का नामंजूर किया जाना' (Rejection of plaint) के शब्द विन्यास में आदेश 4 नियम 1 केउपनियम 3 के प्रावधान के उस समय आकर्षित होते है जब वादी उपनियम 1 तथा 2 की विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पालना नहीं करता है तथा यह भी उस समय जब प्रतिवादीगण की उपस्थिति माननीय न्यायालय में नही रहती है तथा वाद अपने पूर्ववत स्वरूप में वादपत्र (plaint) रहता है अर्थात् वादपत्र का नामंजूर किया जाना (Rejection of plaint) के शब्द विन्यास वादी तथा न्यायालय के मध्य का मामला है।

ब–जब वादपत्र वादपत्र परिवर्तित होकर वाद बन जाता हैं प्रतिवादीगण को विवाद्यको के स्थिरीकरण के सम्मन जारी किए जाते है व जिसमें प्रतिवादीगण से यह चाहा था कि वे वादी के वाद के संबंध में उपस्थितहो तथा लिखित प्रत्युत्तर दे तब वाद को प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज नही किया जा सकता हैं क्योकि आदेश आदेश 7 नियम 11 के शब्द विन्यास उक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित होने के पूर्व के है तथा वाद के पूर्व के है, अर्थात् आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान में वाद का नामंजूर कियाजाना (Rejection of Suit) शब्द नहीं है अपितु वादपत्र कानामंजूर किया जाना' (Rejection of plaint) हैं, जिसमें प्रतिवादीके प्रार्थनापत्र पर उसे अधिकार के तहत 'वादपत्र का नामंजूर कियाजाने का अनुतोष नहीं दिया जा सकता हैं अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा वादपत्र के संबंध में प्रत्युत्तर प्रस्तुत न कर वादपत्र कानामंजूर किया जाना' (Rejection of plaint) बाबत प्रार्थनापत्रप्रस्तुत कर अपने विधिक दायित्व का उल्लंघन किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद के संबंध में उठाये गए तर्को पर कोई विवेचन नहीं किया जबकि वस्तु स्थिति यह है कि भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी ग्राम पाडलिया संवत 1966 खतौनी संख्या नई 29 व पुरानी 29 के अनुसार खातेदार औंकार भील के चारों लडकों के नाम दर्ज है जो पुश्तैनी आराजी है व औंकार के खाते से आयी है। औंकार खातेदार के मरने के उपरान्त आराजी मोती, गंगाराम, देवा तथा शंकर के संयुक्त खाते कुल किता 9 कुल रकबा 26.10 बीघा स्थित है। जिसका विभाजन माननीय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के आदेश राजस्व अभियान क्रमांक 183 दिनांक 01.01.1983 केम्प थनावद में किया जिसके संबंध में नामान्तरकरण सं. 49 दर्ज हुआ। उक्त वक्त की जमाबंदी सं. 42 थी जिसके अनुसार तत्कालीन खातेदार मोती बेटा औंकार भील के खाते में खसरा नं. 120/1 रकबा 4.16 बीघा, खसरा नं. 120/2 रकबा 2 बीघा कुल 2 किता की 6.16 बिस्वा, देवा बेटा औंकार भील के खाते खसरा नं. 128 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नं. 123 रकबा 5.08 बीघा कुल 2 किता की 6.12 बीघा, शंकर बेटा औंकार भील के खाते खसरा नं. 129/1 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नं. 129/2 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं. 130 रकबा 3.16 बीघा कुल 3 किता रकबा 6. 11 बीघा व गंगाराम बेटा औंकार भील के खाते खसरा नं. 119 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 120/1 रकबा 6.02 बीघा कुल 2 किता रकबा 6.10 बीघा आराजी आयी। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय को किसी भी उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई इस कारण यह आदेश अंतिम हो चुका था।

गंगाराम बेटा ओंकार के विधिक प्रतिनिधि होने से वादग्रस्त आराजी जो चरण क्रम 2 के अनुसार गंगाराम के बंटवारे में आई थी व वे उसपर तब से काबिज होकर काश्त कर रहे है जो वर्तमान में उसके खाते में नहीं है के खातेदारी की घोषणा चाहते हैं। गंगाराम के शेष उत्तराधिकारी राजीबाई व बद्रीबाई जनजाति की महिला होने से गंगाराम की आराजी में उत्तराधिकार नहीं रखती हैं।

iii– खातेदार मोती ने दिनांक 17.9.186 को उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के ही न्यायालय में घोषणात्मक वाद दायर कर खसरानं0 120/1 रकबा 10.18 बीघा व 120/2 रकबा 2.00 बीघा की आराजी के पुराने नम्बर 550/62 व 550/62 बताते हुए इस आराजी का खातेदार न्यायालय ने स्पष्टतः साबित नहीं होने पर भी घोषित किया तदनुसार कुल 26 बीघा 10 बिस्वा में से 12 बीघा 18 बिस्वा का माने जाने पर शेष जो आराजी रहती है वह है 13 बीघा 12 बिस्वा। जिसके वादपत्र के चरण क्रम 2 में वर्णित शजरे के अनुसार शेष तीन भागों में बराबर बराबर विभाजन होना है जिसके अनुसार वादीगण को 13 बीघा 12 बिस्वा की 1/3 अर्थात् 4 बीघा 1 बिस्वा आराजी का खातेदार घोषित होना न्यायहित में आवश्यक है किन्तु वादीगण को बंटवारा दिनांक 01.01.1983 नामान्तकरण संख्या 49 के अनुसार जिससे उत्तराधिकार मिला है उसके

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अनुसार गंगाराम के खाते में आराजी खसरा नं. 119 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 120/1 रकबा 6.02 बीघा कुल 2 किता कुल रकबा 6.10 बीघा आयी थी वादी को मिली में से खसरा नं. 120/1 रकबा 6.02 बीघा मोती खातेदार के विधिक प्रतिनिधियों को चले जाने पर वादीगण के व पूर्व गंगाराम के खाते में केवल खसरा नं. 119 रकबा 0.08 बीघा आराजी ही रहती है, इस कारण न्यायहित में जो मोती को आराजी गई है वह सभी खातेदारों की गई मानी जावेगी न कि केवल गंगाराम के खाते में से अतः वादीगण को कुल 26.10 बीघा में से 12.18 बीघा का माने जाने पर शेष जो आराजी रहती है वह खसरा नं. 119 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 121 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नं. 123 रकबा 5.08 बीघा, खसरा नं. 128 रकबा 1.04 बीघा, खसरा नं. 129/1 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नं. 129/2 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं. 130 रकबा 3.16 बीघा कुल 7 किता कुल रकबा 13.12 बीघा आराजी जिसका विधिवत पुनः विभाजन के तहत इस आराजी में से मोती के हिस्से होने पर वादीगण के हिस्से में 4.01 बीघा आराजी जाती है जिसकी घोषणा करवाये जाने के वादीगण वैधानिक अधिकारी हैं। विचारण न्यायालय में तो वादी ने आदेश 7 नियम 11 तथा धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रस्तुतकर्ता के विरूद्ध कोई अनुतोष मांगा भी नहीं था उसको तो केवल औपचारिक पक्षकार बनाया था उसके उपरान्त भी उसके प्रार्थनापत्र के आधार पर वादी का वाद खारिज किया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद में पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि औंकार के पुत्र मोती, गंगाराम, देवा, शंकर के नाम कुल आराजी 26.10 बीघा थी। जिसका विभाजन राजस्व अभियान कैम्प थवानद में नामान्तरकरण सं. 49 से दर्ज हुआ। मोती द्वारा रेसजूडीकेटा का प्रार्थना पत्र पेश करने पर हमारा दावा खारिज हुआ है। जबकि मोती से कोई आराजी नहीं चाहते, मोती को 12.18 बीघा आराजी प्राप्त हुई उसे छोड़कर 13.12 बीघा आराजी शेष रही इसमें से 4.11 बीघा आराजी औकारलाल के पुत्र होने के नाते दी जावे।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा गलत खारिज किया है, अतः अपील स्वीकार की जावे।विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में 2011(4) डब्ल्यू.एल.सी. पेज 531, 2015(3) डब्ल्यू.एल.सी. पेज 683, 2021(2) डब्ल्यू.एल.सी.(एस.सी.) सिविल पेज 187, आर.आर.टी. 2024(2) पेज 1119, 2019 ALL SCR 2018 Supreme Court की नजीरे उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि नन्दा व हीरा ने पुनः दावा किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेसजूडीकेटा के आधार पर विधि सम्मत रूप से खारिज किया है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं विधि सम्मत होने के कारण अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए तथा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सन् 1966 की खतौनी संख्या नई 29 व पुरानी 29 के खसरा नं. 119, 120/1, 120/2, 121, 123, 128, 129/1, 129/2, 130 कुल किता 9 कुल रकबा 26.10 बीघा विवादित आराजी में से वादपत्र की मद सं. 2 (द) के वर्णन अनुसार वादीगण को गंगाराम बेटा औंकार भील के बंटवारे में आयी खसरा नं. 119 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 120/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी का खातेदार कृषक घोषित करने या खसरा नं. 119, 121, 123, 128, 129/1, 129/2, 130 कुल किता 7 कुल रकबा 13.12 बीघा आराजी का विधिवत पुनः विभाजन कर इस आराजी में से 4 बीघा 11 बिस्वा आराजी की घोषणा वादीगण के नाम करने हेतु दावा पेश किया गया जिसकी वाद सं. 79/2019 है। साथ ही वादीगण अपीलांट द्वारा यह भी अनुतोष चाहा गया कि जब तक दावे का निर्णय नहीं हो जाता तब तक वादीगण को खसरा नं. 120/1 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी कब्जे व इस आराजी के उपयोग व उपभोग से वंचित नहीं किया जाये इस बाबत स्थायी व्यादेश प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 के विरूद्ध जारी किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 जाप्ता दीवानी व आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 08.07.2024 वादीगण का वाद इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की आराजी से संबंधित वाद 144/2014 अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 24.04.2014 को रेसजूडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया गया था तथा पुनः उक्त वाद पेश कर दिया है जिसका वादीगण को कानूनन कोई अधिकार नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दायर पूर्व वाद सं. 144/2014 एवं वर्तमान में दायर वाद संख्या

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

79/2019 के पक्षकार एवं अनुतोष भिन्न भिन्न है। वादीगण अपीलांट गंगाराम के वारिसान द्वारा केवल पूरीलाल, भीमराज वल्द मोतीलाल, कालू वल्द रामलाल अर्थात मोतीलाल के वारिसान के विरूद्ध खसरा नं. 120/1 की 6 बीघा 2 बिस्वा आराजी में प्रतिवादी नं. 2 व 3 का नाम हटाकर वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित करने तथा इंतकाल नं. 191 दिनांक 21.08.2012 को वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित करने तथा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रतिवादी नं. 3 के पक्ष में किये गये बेचान को भी वादीगण के टीनेन्सी अधिकारों पर बेअसर घोषित करने हेतु पेश किया गया था। वादीगण अपीलांट द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत वाद सं. 79/2019 पूर्व खातेदार मोतीलाल के वारिसान के साथ साथ ही अन्य पूर्व खातेदार देवा एवं शंकर जिनका नाम सहखातेदार के रूप में सेटलमेंट जमाबंदी सन् 1966 में दर्ज है के वारिसान को भी पक्षकार बनाते हुए उनके विरूद्ध भी अनुतोष चाहा गया है, जो पूर्व में वाद सं. 144/2014 के अनुतोष से भिन्न है, जिसका निस्तारण विधिवत रूप से वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात तनकीवार विवेचन के आधार पर करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व वाद संख्या 144/2014 एवं वर्तमान वाद संख्या 79/2019 के पक्षकार एवं अनुतोष में भिन्नता होने के बावजूद प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 जाप्ता दीवानी एवं आर्डर 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर वादीगण अपीलांट के वाद को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी के दावे एवं प्रतिवादी के जवाबदावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर वादीगण अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा